



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223982
CG-DL-E-29122020-223982

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4143]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942

No. 4143]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4726(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के बोंगईगांव जिले में NH117 के कि.मी. 0 से कि.मी.14.66 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बोन्गैनों) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 4 नवंबर 2020 , 20 अक्टूबर 2020 को “असोमिया प्रतिदिन” और “द सेंटीनल” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

असम राज्य के बोंगईगांव जिले में NH117 के कि.मी. 0 से कि.मी. 14.66 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बोन्नौनों) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: बोंगईगांव			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मानिकपुर				
	गांव का नाम: डोंकिज्हर				
1	286	सरकारी	एनएचएआई	0.006	सरकारी (२८६)
2	287 / 137	निजी	एन बारी	0.013	१. निपेंद्र बारमैन २. बिपिन बारमैन पिता:भुटका बारमैन (२८७ १३७)
3	288	सरकारी	एनएचएआई	0.023	सरकारी (288)
4	289	सरकारी	एनएचएआई	0.051	सरकारी (289)
5	290/56	निजी	साली	0.025	१. अमूल्य चंद्रा बारमैन २. अतुल चंद्रा बारमैन पिता: अभेश्वर बारमैन ३. बरनाली रे पति: प्रफुल्ला रे ४. धनजीत क्र रे ५. संजीव क्र रे ६. संजय क्र रे पिता: प्रफुल्ला रे ७. दीपक बारमैन पिता: नित्यानंद बारमैन (२९० ५६)
6	291	सरकारी	एनएचएआई	0.013	सरकारी (२९१)
7	292	सरकारी	एनएचएआई	0.062	सरकारी (२९२)
8	294 / 43	निजी	फोरिंग	0.031	१. निपेंद्र बारमैन २. बिपिन बारमैन पिता:भुटका बारमैन ३. भारती बसुमतारी

					पति:चिमांग बसुमतारी ४. नजमुल नहर पिता: नजरुल इस्लाम खान ५. फजलुर रहमान पिता: अयूब अली (२९४ ४३)
9	309 / 59	निजी	साली	0.032	१. परमेस्वर बारमैन पिता: भुवनेस्वर बारमैन २. फुलेश्वरी बारमैन पति:मोनेस्वर बारमैन ३. परेश चंद्रा बारमैन पिता: एनिल चंद्रा बारमैन (३०९ ५९)
10	310	सरकारी	एनएचएआई	0.075	सरकारी (३१०)
11	311 / 41	निजी	साली	0.024	१. परेश बारमैन २. सुरेश बारमैन पिता: एनंडा बारमैन (३११ ४१)
12	312	सरकारी	एनएचएआई	0.15	सरकारी (३१२)
13	313	सरकारी	एनएचएआई	0.173	सरकारी (३१३)
14	314 / 40	निजी	साली	0.007	भारती बसुमतारी पति: चिमांग बसुमतारी (३१४ ४०)
15	315 / 45	निजी	फोरिंग	0.183	१. मिनेस्वरी बारमैन पिता: सनातन बारमैन २. बिनोय क्र बारमैन पिता: ठेंगा बारमैन ३. नरेन् बसुमतारी पिता: धनेश्वर बसुमतारी (३१५ ४५)
16	345/793	सरकारी	पि डब्लू डी सड़क	0.007	सरकारी (३४५ ७९३)
			कुल	0.875	

[फा. सं. NHIDCL/BO-Dhubri/Hapachara-Tulungia/LA/2020/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

S.O. 4726(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH117 on the stretch of land from Km 0 to Km 14.66 (Deputy Commissioner office Bongaingaon) in the district of BONGAIGAON in the state of ASSAM;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Asomiya Pratidin*” and “The Sentinel” both dated 04.11.2020 and 20.10.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH117 in the stretch of land from Km 0.00 to KM 14.660 on NH117 (Deputy Commissioner office Bongaingaon) in the district of BONGAIGAON in the state of ASSAM.

State: ASSAM		District: BONGAIGAON			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested Person Part Survey No.:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Manikpur				
	Village: Daukijhar				
1	286	Government	N H A I	0.006	Government Land 286
2	287 / 137	Private	No Bari	0.013	1. Nipendra Barman 2. Bipin Barman S/o- Bhutuka Barman 287/137
3	288	Government	NHAI	0.023	Government Land 288
4	289	Government	N H A I	0.051	Government Land 289
5	290/56	Private	sali	0.025	1. Amulya Chandra Barman 2. Atul Chandra Barman S/o- Abheswar Barman 3. Barnali Ray W/o- Prafulla Ray 4. Dhanjit Kr. Ray 5. Sanjib Kr. Ray 6. Sanjay Kr. Ray S/o- Prafulla Ray 7. Dipak Barman S/o- Nityananda Barman 290/56
6	291	Government	N H A I	0.013	Government Land 291
7	292	Government	N H A I	0.062	Government Land 292
8	294 / 43	Private	Foring	0.031	1. Nipendra Barman 2. Bipin Barman S/o- Bhutuka Barman 3. Bharati Basumatari W/o- Chimang Basumatari 4. Najmul Nehar S/o- Najrul Islam Khan 5. Fajlur Rahaman S/o- Ayub Ali 294/43
9	309 / 59	Private	Sali	0.032	1. Parmeswar Barman S/o- Bhubeneswar Barman 2. Fuleswari Barman W/o- Moneswar Barman 3. Paresh Chandra Barman S/o- Anil Chandra Barman 309/59
10	310	Government	N H A I	0.075	Government Land 310

11	311 / 41	Private	Sali	0.024	1. Paresh Barman 2. Suresh Barman S/o- Ananda Barman 311/41
12	312	Government	N H A I	0.15	Government Land 312
13	313	Government	N H A I	0.173	Government Land 313
14	314 / 40	Private	Sali	0.007	Bharati Basumatari W/o- Chimang Basumatari 314/40
15	315 / 45	Private	Foring	0.183	1. Mineswari Barman D/o- Sonatan Barman 2. Binoy Kr. Barman S/0- Tenga Barman 3. Naren Basumatari S/0- Dhaneswar Basumatari 315/45
16	345/793	Government	P.W.D Road	0.007	Government Land 345/793
			TOTAL	0.875	

[F. No. NHIDCL/BO-Dhubri/Hapachara-Tulungia/LA/2020/3D]

RAJESH GUPTA, Director